[20/3/2023] (4)

प्रश्न सं. [क्र. 2759]

परिशिष्ट —"अ"

अतारांकित प्रश्न क्रमांक — 2759

द्वारा —माननीय विधायक श्री मेवाराम जाटव

जिला अध्यक्ष कांग्रेस भिण्ड द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे गये ज्ञापन पर पुलिस विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण—

1. मृत बालिका के संदर्भ में थाना देहात भिण्ड में मर्ग कायम कर जांच की गई। मर्ग जांच के आधार पर दिनांक 29/01/23 को अपराध क्र. 40/23 धारा 302, 201 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट बढाई गई। प्रकरण की विवेचना गतिशील है, विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के अनुरूप प्रकरण का विधिसम्मत निराकरण किया जावेगा।

2. प्रश्नांश में उल्लेखित ज्ञापन के संदर्भ में थाना मेहगांव के अप.क्र. 10/23 धारा 302, 307, 294, 147, 148, 149, भादवि एवं 25/27 आर्म्स एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। 24 घण्टे के भीतर 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष 05 आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। प्रकरण की विवेचना गतिशील है, विवेचना में एकत्रित साक्ष्य के अनुरूप प्रकरण का विधिसम्मत निराकरण किया जावेगा।

3. प्रश्नांश में उल्लेखित ज्ञापन के संदर्भ में भिण्ड जिला मुख्यालय स्तर पर या अन्य किसी भी थाने पर पुलिस के संरक्षण में ट्रकों एवं डम्परों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जा रही है।

4. प्रश्नांश में उल्लेखित ज्ञापन के संदर्भ में टीप यह है की भिण्ड जिले में लगातार गोलीबारी, लूट, हत्या की घटनाएं आम नहीं हुई है। पुलिस प्रशासन वैधानिक रूप से अपना कार्य सम्पन्न कर रहा है जिसके कारण कानून व्यवस्था एवं अपराध नियत्रंण में है।

AIG of Police
CID, M.P., BHOPAL

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन,
गृह (पुलिस) विभाग, पी (1)
मंत्रालय, भोपाल